संख्या– / XXIX-2/2024/E- 70106

प्रेषक,

कर्मेन्द्र सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–02 **देहरादूनः दिनांकः मार्च, 2024**

विषयः राज्य सैक्टर (नागर) कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में सुचारू पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु 12 नग हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–2032/टी०ए०सी०/2023–24, दिनांक 24.06.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर (नागर) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में उत्तराखण्ड राज्य में नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में सुचारू पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु 12 नग (संलग्नकानुसार) हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्यों हेतु कुल ₹ 47.91 लाख (₹ सैंतालीस लाख इक्यानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन अधिशासी अभियन्ता की निरीक्षण/संस्तुति के आधार पर अभावग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति/अनुमोदनोपरान्त अधिष्ठापित किया जायेगा।

(iv) हैण्डपम्पों का अधिष्ठान ऐसे स्थानों पर कदापि न किया जाय, जहां पर उसका स्थानीय जनता को पूर्ण लाभ प्राप्त न हो।

(v) हैण्डपम्प लगाते समय यदि हैण्डपम्प में पानी नहीं निकलता है (ड्राई बोर) तो इसके स्थान पर नये प्रस्तावित स्थान का अनुमोदन भी जिलाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा।

(vi) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर, जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक है।

(vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(viii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(ix) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु

उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सके।

(x) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(xi) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xiii) उक्त योजना/कार्य में सेन्टेज अनुमन्यता के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः योजनाओं के प्राक्कलनों में सम्मिलित किए गये सुपरविजन चार्ज धनराशि, जल संस्थान को सेंटेज/सुपरविजन जार्च अनुमन्यता के संबंध में लिए जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

(xiii) उक्त कार्य के औचित्य/आवश्यकता व लागत की उपयुक्तता का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता का होगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलापूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति–05–नगरीय पेयजल–01–हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन (नगरीय)–53–वृहद् निर्माण मद कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या (आई०डी० संलग्न) से आवंटित की जा रही है। धनराशि के उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–I/111469/2023, दिनांक 31.03.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित संख्या–I/196536/2024, दिनांक 06 मार्च, 2024 के क्रम में जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

Signed by Karmendra Singh
Date: 07-03-2024 16:01:11

(कर्मेन्द्र सिंह)
अपर सचिव

संख्या– (1)/ XXIX-2/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
9. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी०एम०एस० राणा)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या– / XXIX-2 / 2024, दिनांक मार्च, 2024 का संलग्नक।

क्र०सं०	हैण्डपम्प अधिष्ठान हेतु स्थानों का नाम	हैण्डपम्पों की संख्या
1.	नगर पंचायत ऊखीमठ के अन्तर्गत भारत सेवा आश्रम के पास।	01
2.	नगर पंचायत ऊखीमठ के अन्तर्गत तहसील गेट के पास।	01
3.	नगर पंचायत अगस्त्यमुनी के अन्तर्गत पुलिस थाना अगस्त्यमुनी के पास।	01
4.	नगर पंचायत अगस्त्यमुनी के अन्तर्गत पुराना देवल अगस्त्यमुनी के पास।	01
5.	वार्ड नं0 7 रूद्रप्रयाग जवाडी बाई पास व्यू प्वाइट के पास।	01
6.	वार्ड नं0 7 रूद्रप्रयाग रैंतोली बाई पास पर मोटर पुल के पास।	01
7.	वार्ड नं0 7 रूद्रप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के तिलणी में मोटर पुल के समीप के पास।	01
8.	वार्ड नं0 4 रूद्रप्रयाग केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के अमरती नैल के समीप।	01
9.	विकासखण्ड पुरोला के पोरा गांव में।	01
10.	देवप्रयाग नगर में मार्किट के पास।	01
11.	कीर्तीनगर में मार्किट के पास।	01
12.	कीर्तीनगर जाखनी न्यू कॉलोनी के पास।	01
योग		**12**